कार्यालय कलेक्टर (जनगणना) बैतूल

क्रमांक 31 / जनगणना / 2015 / बैतूल, दिनांक 30 / 10 / 2015

अल्प निविदा

राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर तैयार करने एवं अपडेट करने हेतु निम्नानुसार लेखनसामग्री क्रय किया जाना है :–

1. सामग्री रखने हेतु बैग
2. नीली स्याही का डॉटपेन
3. लाल स्याही का डॉटपेन
4. रबर मीटाने वाली
5. पेन्सिल
6. स्टेप्लर (छोटा)
7. इंकपेड (मीडियम)

उपरोक्त लेखनसामग्री क्रय हेतु लेखनसामग्री (स्थानीय बैतूल शहर के) विक्रेताओं से सीलबंद निविदाएँ निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है :–

1. सीलबंद निविदा जिला योजना कार्यालय बैतूल में दिनांक 06.11.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी। प्राप्त निविदा इसी दिनांक को सायं 4.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खाली जावेगी।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रू0 1000/– (रू0 एक हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर (जनगणना) बैतूल के पक्ष में जारी की गई कॉल डिपॉजिट रसीद प्रस्तुत करना होगा। बिना प्रतिभूति राशि की जमा की गई निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा के साथ प्रत्येक सामग्री के किस्म का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तथा नमूना पर दरें अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा में दर प्रतिनग अंकित की जावे।
5. निविदाकार उनके द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर पर प्रदाय करने का बाध्य होगा।
6. प्रदाय की गई कोई भी सामग्री नमूने के अनुसार न होने पर अथवा निम्न स्तर की होने की दशा में एसी सभी सामग्री निविदाकार स्वयं के व्यय पर वापस उठाना होगा।
7. सामग्री की मांग आदेश प्राप्त होने पर तुरन्त कलेक्टर (जनगणना) कार्यालय बैतूल को प्रदाय करनी होगी।
8. निविदा स्वीकृत होने एवं मांग आदेश प्रदाय किये जाने के पश्चात् निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय न करने अथवा निम्न स्तर की समाग्री प्रदाय करने की स्थिति में आदेशित सामग्री अन्यत्र खुले बाजार से क्रय की जावेगी तथा उसमें जो भी अधिक व्यय होगा वो निविदाकार की प्रतिभूति राशि से अथवा बकाया की वसूली की तरह राशि वसूल की जावेगी।

9. निविदाकार को वर्ष 2014–15 आयकर शेष नहीं होने का प्रमाणपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. निविदा दरों में वैटटैक्स सम्मिलित कर दरें प्रस्तुत की जावें। अलग से वैटटैक्स देय नहीं होगा।
11. देयक भुगतान करते समय नियमानुसार देय राशि का कटौत्रा भुगतान देयक से किया जावेगा।
12. कलेक्टर जनगणना बैतूल न्यूनतम निविदा स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं होंगे। निविदा की स्वीकृति गुणवत्ता विचार उपरांत ही की जावेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर बैतूल को होगा।
13. अंतिम निर्णय बाबत् पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

प्रभारी अधिकारी
जनगणना बैतूल

पृ0 क्रमांक32 / जनगणना / 2015 / बैतूल, दिनांक30 / 10 / 2015

प्रतिलिपि,

1. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, म0प्र0 जनगणना भवन अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल।
2. जिला जनसंपर्क अधिकारी, बैतूल की स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
3. मेसर्स ....स्थानीय विक्रेता बैतूल की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
जनगणना बैतूल